

Dr. Krishan LalB.Sc.,B.Ed.,M.Com., M.A., M.Phil.,Ph.D. Retd. Lecturer Political Sc.

Near Himanshu Educational Hub, Ward No.9 , Chauri Gali, Budhlada - 151502 Distt. Mansa (Pb.)

A CONSULTANCY REGISTERED FIRM TO PROVIDE HELP FOR THE PROBLEMS OF GOVT. EMPLOYEES & RETIRED PENSIONERS

Haryana Guest Teacher for Lecturer (47600) / Masters (44900) and JBT Teacher (29200) Pay from 01.01.2016 alongwith Dearness Allowance as effective from 01.01.2016. It means 50% Dearness Allowance from 01.01.2024 vide Supreme Court Civil Appeal No. 223 of 2013 State of Punjab & Others V/S Jagjit Singh decided on 26.10.2016

गेस्ट टीचर नियमित कर्मचारियों के समान वेतन मंजूर शूदा पर ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट Civil Appeal No. 223 of 2013 State of Punjab & Others V/S Jagjit Singh के सम्मान योग्य न्यायाधीश जे एस खेहर और एस सी बोर्ड के 102 पन्ने पर 26-10-2016 के फैसले के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत Daily Wages / Temporary Worker और अनुबंध (ठेके) पर लगे कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो Proper Selection Procedure के द्वारा तथा Santioned Posts पर लगे हुए हैं और वे निश्चित कर्मचारियों के सम्मान वेतन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वह भी स्थाई कर्मचारियों के बराबर ही काम करते हैं संविधान के अनुसार बराबर काम के लिए नियुक्त कर्मचारियों को सथाई कर्मचारियों के मुकाबले कम वेतन नहीं दिया जा सकता । डॉ. कृष्ण लाल से मोबाइल नंबर 98157-13297, 99150-31482 और 90410-13814 से 19 (6 लाइनें) पर संपर्क करें।

Guest Teacher	Pay From 01.01. 2017	Pay From 01.07. 2018	Pay From 01.01. 2019 With 3% D.A.	Pay From 01.07. 2019 With 8% D.A.	Pay From 01.07. 2021 With 22% D.A.	Pay From 01.01. 2022 With 25% D.A.	Pay From 01.07. 2022 With 29% D.A.	Pay From 01.01. 2023 With 33% D.A.	Pay From 01.07. 2023 With 37% D.A.
Lecturer	29715	36000	37080	38880	43920	45000	46440	47880	49320
Master/TG T and Language Teachers (Hindi, Punjabi and Sanskrit)	24001	30000	30900	32400	36600	37500	38700	39900	41100
JBT/PRT/D rawing Teachers	21715	26000	26780	28080	31720	32500	33540	34580	35620



Dr. Krishan Lal B.Sc., B.Ed., M.Com., M.A., M.Phil., Ph.D. Retd. Lecturer Political Sc.

Near Himanshu Educational Hub, Ward No.9 , Chauri Gali, Budhlada - 151502 Distt. Mansa (Pb.)

Regd. No. UDYAM-PB-13-0011743

A CONSULTANCY REGISTERED FIRM TO PROVIDE HELP FOR THE PROBLEMS OF GOVT. EMPLOYEES & RETIRED PENSIONERS

PERFORMA (ENGLISH CAPITAL LETTERS) Writ Haryana Guest Teachers regarding Equal Pay for Equal Work

Double Court Describe No. 10 N

Important Points:-

Paytm, Google Pay and PhonePe Mobile Number: 9915031482

- In case of female, write the name of husband in address.
- 2. Send one copy of performa by whatsapp and one by post.
- 3. Write tehsil and distt. name in school and residence address.
- 4. Send one copy of Aadhar Card by whatsapp and one by post.

State Bank of India Budhlada
Distt. Mansa(Punjab)
Current A/c No.39453963229
In Favour of: Krishana Consultancy
IFSC Code: SBIN0050050
Whatsapp No - 98157-13297

POWER OF ATTORNEY

In the Court of	
VERSUS	Plaintiff/Appeallant Complainant Petitioner
	□ Defendant
KNOW ALL to whom these present shall come that	- Accused
for the in the above mentioned deeds and things or any of them that is to say:-	_
 To act appear and plead in the above mentioned case in which the same may be tried or heard in the execution or its final decision. 	n the court or any other Court in r in any stage of its progress until
Present pleading appeals letter patent appeal cross obj review, revisions withdrawal compromise or other petition as shall deemed necessary or advisable for the prose- stage.	ns or affidavit or other documents
To file and take back documents and to file application fo dismissed in default.	r restoration there of in case it is
To withdraw or compromise the said case or submit for arbit that shall arise touching or in any manner relating to the s	said case.
To deposit draw any receive money and grant receipt the things which may be necessary to be done for the progres of said case.	re of and to do all other acts and s and in the case of prosecutions
 To employee and other legal practitioner authorising I authorities hereby conferred on the advocate whenever I And I/We hereby agree to ratify whatever the Advocate promises. 	he may think fit to do so.
And I/We hereby agree not to hold the Advocate or his sul of said for hearing case in consequence from the court w for any negligence of the said Advocate or his substitute.	hen the said case is called up or
And I/We hereby agree that in the event of whole or any parto the Advocate, remaining unpaid he shall be entitled to the said case until the same is paid if any costs are allowed would be entitled to the same.	withdraw from the prosecution of
N WITNESS WHERE OF I/We agree to set my/our hands which have been explained to understand by me/us this th	
20	

Accepted:

(Signature or Thumb Impression of client)

KRISHANA R N UVAMUP. 13.00117.41

Dr. Krishan LalB.Sc., B.Ed., M.Com., M.A., M.Phil., Ph.D. Retd. Lecturer Political Sc.

Near Himanshu Educational Hub, Ward No.9 , Chauri Gali, Budhlada - 151502 Distt. Mansa (Pb.)

A CONSULTANCY REGISTERED FIRM TO PROVIDE HELP FOR THE PROBLEMS OF GOVT. EMPLOYEES & RETIRED PENSIONERS

आदरणीय भाई और बहन जी,

हम नीचे दिए अनुसार अध्यापकों, कर्मचारियों को उनके बनते लाभ दिलाने के लिए कोर्ट केस तैयार करवा रहे हैं। अगर आपका या आपके साथी का विचार हो तो वह निम्नलिखित केसो में शामिल होने के लिए डॉक्टर कृष्ण लाल जी जिनका मोबाइल नंबर 98157-13297 और 90410-13814 से 90410-13819 (6) नंबरों पर संपर्क करें।

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के उच्च पद के संबंध में वेतन और परिलब्धियां जारी करना, जिसके विरुद्ध उन्हें पी.ग्रोवर बनाम हरियाणा राज्य, 1983 एआईआर (एससी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की क्षमता में आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कहा गया था, 1060. पी. बोवर के मामले (सुप्रा) में तथ्य यह थे कि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से दो साल पहले अपीलकर्ता को जिला शिक्षा अधिकारी का स्थानापन्न प्रभार दिया गया था। शीर्ष अदालत ने उच्च पद के वेतन और परिलब्धियों को मुक्त करने के अपीलकर्ता के दावे को स्वीकार करते हुए कहा था कि उच्च पद पर पदोन्नत अधिकारी को ऐसे उच्च पद के वेतन का भूगतान करने से इनकार करने को उचित ठहराने वाले किसी नियम के अभाव में, विचाराधीन कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद के वेतन का भगतान करने का हकदार है, जिसके खिलाफ उसने कार्य किया था। आहरण और संवितरण अधिकारी प्रिंसिपल/हेड मास्टर के उच्च पद के वेतन और परिलब्धियों के हकदार हैं, जिस अविध के लिए उन्होंने वास्तव में सीडब्ल्यूपी संख्या 2015 के 26598 ग्रजंट सिंह और अन्य के माध्यम से इस तरह के पद के अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन किया था। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। दिनांक 12.03.2020 को अनुमति दी गई और 1999 के आरएसए संख्या 1539 में इस माननीय न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, जिसका शीर्षक हरियाणा सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के आयुक्त और सचिव, चंडीगढ़ बनाम एसके बग्गा है। 2015 के सीडब्ल्यूपी संख्या 26598 में 2023 की सीओसीपी संख्या 2025 के संबंध में हलफनामे के माध्यम से बोलने का आदेश, ग्रजंट सिंह और अन्य। (ग) हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में महानिदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला द्वारा 22.01.2024 को चंडीगढ़ में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जारी किया गया है। 69234 रुपये का भुगतान प्रधानाचार्य राजकीय सेन माध्यमिक विद्यालय, दारस्ल कलां, जिला फतेहाबाद द्वारा बलदेव सिंह को किया गया है। फतेहाबाद 17.08.2004 से 28.02.2014 की अवधि के लिए चालान संख्या 0601080523106868 के खिलाफ वेतन आदेश संख्या 0601042682 के तहत डीडीओ (ड्राइंग और संवितरण अधिकारी) के रूप में कार्य किया।

- गेस्ट टीचर नियमित कर्मचारियों के समान वेतन मंजूर शूदा पर ले सकते हैं सुप्रीम 2. कोर्ट Civil Appeal No. 223 of 2013 State of Punjab & Others V/S Jagjit Singh के सम्मान योग्य न्यायाधीश जे एस खेहर और एस सी बोर्ड के 102 पन्ने पर 26-10-2016 के फैसले के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत Daily Wages / Temporary Worker और अनुबंध (ठेके) पर लगे कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो Proper Selection Procedure के द्वारा तथा Santioned Posts पर लगे हुए हैं और वे निश्चित कर्मचारियों के सम्मान वेतन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वह भी स्थाई कर्मचारियों के बराबर ही काम करते हैं संविधान के अनुसार बराबर काम के लिए नियुक्त कर्मचारियों को सथाई कर्मचारियों के मुकाबले कम वेतन नहीं दिया जा सकता l
- सीनियर अधिकारी व कर्मचारियों का वेतन जुनियर अधिकारी वह कर्मचारी से कम नहीं हो सकता हरियाणा सरकार के सीनियर कर्मचारी और अधिकारी अपना वेतन जुनियर कर्मचारियों के बराबर निश्चित करवाने के लिए संपर्क करें ।
- जो प्रिंसिपल फर्स्ट और सेकंड ACP लेकर उन् प्रिंसिपलों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसीपी लेकर प्रिंसिपल बने हैं । वे सीनियर प्रिंसिपलों जूनियर प्रिंसिपलों के समान वेतन प्राप्त कर सकते हैं।
- हरियाणा सरकार की तरफ से पेंशनरों की भलाई हेत् काॅम्यूटेशन की किस्त 15 सालों के लिए काटी जाती है जब के ब्याज दर 8.1% हो गई है जब के बाजार में ब्याज दर कम हो रही है । The Hon'ble Kerala High Court in W.P.(C) No. 23282 of 2005, Central Government Pensioner Association .V. Union of India के फैसले के अनुसार केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में 15 साल से 12 साल कर दी गई है l पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन 30.04.2004 अन्सर 04.03.2003 को कम्यूटेशन का पीरियड 12 साल से 15 साल दोबारा कर दिया गया है I It is arbitrary and without any mathematical calculation. 58 साल के रिटायर्ड कर्मचारी काॅम्यूटेशन की रिकवरी 11.5

PERFORMA (ENGLISH CAPITAL LETTERS)

(134.85) महीने में करवाने के लिए संपर्क करें I

Sr. No.	Name & Father Name	Designation	School/ Office Name	Date Of Joining And Regular	Date Of Birth	Aadhar Card No.	Date Of Retirement	Email Id	Арр	Resi Address	Signature
									Number		

State Bank of <u>India B</u>udhlada Distt. Mansa(Punjab) In Favour of: Krishana Consultancy

Current A/c No.39453963229 IFSC Code: SBIN0050050

Paytm/Google Pay/Phonepay and Amazon Payment Mobile Number:9915031482

Important Points:

Send one copy of performa, Power of Attorney and Aadhar Card both sides by whatsapp and one by post.

2.Only Signature on Power of Attorney left side as written Signature or Thumb Impression of client.







Scan for What'sapp





Scan for Payment











